भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1923
बुधवार, 5 अगस्त, 2026 (14 श्रावण 1948 (शक)) को उत्तरार्थ

विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना

1923 श्री पी. विल्सनः

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तमिलनाडु में 'विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना' (डब्लूएलजीएसपी) के अंतर्गत कोई अनाज भांडागार संस्वीकृत, उद्घाटित या अनुमोदित किए गए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत आवंटित, जारी और प्रयुक्त कुल धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कुल कितनी भंडारण क्षमता प्रस्तावित और सृजित की गई है और इसमें शामिल प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) की संख्या कितनी है, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) संस्वीकृत परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) मंत्रालय के गठन से लेकर पाँच वर्षों के दौरान इसके द्वारा आरंभ की गई पहलों से कितने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) सहकारिता क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत अनाज भंडारण योजना के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में 5 गोदामों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा 8 गोदाम निर्माणाधीन हैं। इसका जिलावार विवरण **अनुलग्नक-क** में संलग्न है।

(ख) और (ग): इस योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार की विभिन्न प्रचलित योजनाओं, जैसे कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (AMI), कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (SMAM) तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (PMFME,) आदि के अभिसरण के माध्यम से किया जाता है। अतः, संबंधित योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार धनराशि उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत AMI योजना से जारी की गई कुल धनराशि का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-ख** में संलग्न है। योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं तथा सृजित भंडारण क्षमता का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-ग** में संलग्न है।

(घ): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW) की AMI योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS)/सहकारी समितियों द्वारा गोदामों का निर्माण 18 माह के भीतर पूर्ण किया जाना तथा अंतिम अनुदान (सब्सिडी) दावा प्रस्तुत करने हेतु पूर्णता संबंधी दस्तावेज जमा करना अपेक्षित है। तथापि, विलंब के कारणों के पूर्णतः औचित्यपूर्ण पाए जाने पर अधिकतम 6 माह का अतिरिक्त समय प्रदान किया जा सकता है।

(ड.): सहकारिता मंत्रालय द्वारा 6 जुलाई, 2021 को स्थापना के उपरांत "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण के अनुरूप सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ करने हेतु अनेक नीतिगत एवं संस्थागत पहल की गई हैं। योजना के अंतर्गत PACS/अन्य सहकारी समितियों के स्तर पर भंडारण अवसंरचना के साथ-साथ प्राथमिक प्रसंस्करण एवं अन्य संबद्ध सुविधाओं के सृजन से पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित होने की अपेक्षा है। इनमें निर्माण कार्य, गोदाम संचालन, ग्रेडिंग, छंटाई, पैकेजिंग, प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण, लॉजिस्टिक्स आदि में प्रत्यक्ष रोजगार के साथ-साथ परिवहन, उपकरण अनुरक्षण, कृषि आदानों की आपूर्ति, विपणन तथा अन्य कृषि-व्यवसाय सेवाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी शामिल हैं। यह योजना ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने, स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करने तथा कृषि मूल्य श्रृंखला में सतत रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखती है।

संलग्नक -क

तमिलनाडु में निर्मित/निर्माणाधीन गोदामों का जिला-वार ब्योरा

क्रम सं.	जिला	संख्या	क्षमता (एमटी)	निर्माण
1	थेनी	1	1000	निर्मित
2	डिंडीगुल	1	1000	
3	पेरम्बलूर	1	100	
4	पेरम्बलूर	1	100	
5	नमक्कल	1	100	
6	तिरुवन्नामलाई	2	2000	निर्माणाधीन
7	तिरुचिरापल्ली	1	1000	
8	कन्याकुमारी	1	1000	
9	मदुरई	1	1000	
10	तिरुवन्नामलाई	1	1000	
11	करूर	1	500	
12	तिरुचिरापल्ली	1	200	

संलग्नक -ख

योजना के अंतर्गत एएमआई (AMI) के तहत जारी की गई निधियों का राज्यवार विवरण

क्रम सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	कुल अग्रिम सब्सिडी (₹ करोड़)
1	अरुणाचल प्रदेश	3	0.31085
2	असम	1	0.0384
3	बिहार	25	5.063545
4	छत्तीसगढ़	9	1.920555
5	गुजरात	136	6.838885
6	जम्मू और कश्मीर	1	0.14004
7	कर्नाटक	1	0.125
8	मध्य प्रदेश	1	0.125
9	महाराष्ट्र	24	2.313115
10	ओडिशा	10	1.584815
11	तमिलनाडु	12	0.8095
12	उत्तर प्रदेश	1	0.05245
13	उत्तराखंड	1	0.0237
कुल		**225**	**19.345855**

संलग्नक – ग

स्वीकृत परियोजनाओं तथा सृजित भंडारण क्षमता का राज्य-वार ब्योरा

क्रम सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुल क्षमता सृजित (एलएमटी में)
1.	गुजरात	275	0.158
2.	राजस्थान	201	0.603
3.	आंध्र प्रदेश	117	0.790
4.	ओडिशा	80	-
5.	महाराष्ट्र	79	0.186
6.	झारखंड	52	-
7.	हरियाणा	44	-
8.	बिहार	36	-
9.	छत्तीसगढ़	30	-
10.	पंजाब	30	-
11.	तेलंगाना	28	0.005
12.	उत्तर प्रदेश	14	0.015
13.	तमिलनाडु	13	0.023
14.	जम्मू और कश्मीर	6	-
15.	अरुणाचल प्रदेश	3	-
16.	असम	3	0.005
17.	मध्य प्रदेश	1	0.005
18.	त्रिपुरा	1	0.003
19.	उत्तराखंड	1	0.005
20.	कर्नाटक	1	0.010
कुल		**1,015**	**1.808**